

अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक मंगलवार परेड का किया निरीक्षण, शारीरिक दक्षता विकसित कराने हेतु लगवाई दौड़,

आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अराजक तत्वों/उपद्रवियों से निपटने के लिए जवानों से अश्रु गैस, ग्रिनेट, रबड बुलट, मिर्ची बम आदि चलवाकर करवाया बलवा ड्रिल का अभ्यास तथा बलवाइयों से निपटने हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश -

आज दिनांक 07.11.2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु परेड को दौड़ लगवाई। परेड में एकरूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई तथा उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया व अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्यौहार के दृष्टिगत प्र0नि0/थानाध्यक्षों/महिला आरक्षियों समेत समस्त पुलिस कर्मियों को अराजक तत्वों/उपद्रवियों से निपटने के लिए अश्रु गैस, ग्रिनेड, रबड बुलट, मिर्ची बम, एण्टीराइट गन आदि चलवाकर बलवा ड्रिल का अभ्यास करवाया तथा बलवाईयों से निपटने के बारे में टिप्स भी दिए साथ ही महिला व पुलिस कर्मियों की अलग-अलग टोलियों से भीड़ नियंत्रण हेतु अभ्यास करवाया तथा जवानों को फील्डक्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हुए फील्डक्राफ्ट का भी अभ्यास करवाया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक, परिवहन शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 07.11.2023

गोण्डा पुलिस द्वारा माह अक्टूबर में 28 अपहृताओं व 90 गुमशुदा बालको/बालिकाओं/व्यक्तियों को बरामद कर उनके परिजनों को किया सुपुर्द—

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल ने अभियान चलाकर गुमशुदा/अपहृत महिलाओं/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा पतारसी—सुरागरसी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की मदद से माह अक्टूबर में धारा 363/366 भादवि की अपहृता/पीड़िता 28 महिलाओं/बालिकाओं को बरामद किया गया है तथा 90 गुमशुदा बालकों/बालिकाओं/व्यक्तियों की बरामदगी कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनो द्वारा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त सराहनीय कार्य की आमजनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 07.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना को० नगर पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित श्री दिग्गज पाण्डेय नि० पटेल नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा ने थाना को० नगर पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि साइबर फ्रॉड गिरोह के सदस्यों द्वारा पैसों का प्रलोभन देकर उनसे ओ०टी०पी० मांगा गया पैसों के लालच में मेरे द्वारा ओ०टी०पी० दे दिया गया जिससे मेरे क्रेडिट कार्ड से 1,24,998 रुपये कट गए हैं। सूचना पर थाना को० नगर साइबर हेल्प डेस्क तैनात उ०नि० संजीव सिंह, म०आ० अर्जुना यादव व आ० पंकज कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल गोण्डा से सम्पर्क स्थापित कर सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि रु० 1,24,998/- को होल्ड कराते हुए पीड़ित के रुपये 99,999/- खाते में पैसा वापस कराया गया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.11.2023

नाजायज गांजा के साथ मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 07.11.2023 को थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मछली बाजार मुख्य मार्ग के पास से मादक पदार्थ तस्कर नौशाद अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० मनकापुर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नौशाद अली पुत्र स्व० सरदार अली नि० ग्राम करोहामान थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—596/23, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० अरविन्द कुमार राय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.11.2023

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 07.11.2023 को दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त—पृथ्वीराज उर्फ बबलू को ग्राम रूपईडीहा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी छैलबिहारी शुक्ला पुत्र ईश्वर शुक्ला नि० ग्राम परना तेलियानी थाना पयागपुर जनपद बहराइच की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पृथ्वीराज उर्फ बबलू पुत्र धनीराम नि० ग्राम गौनरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—378/23, धारा 498ए, 304बी भादवि 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० अखिलेश यादव मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगदम्बा पुत्र रामदेव नि० ग्राम अहिरौली थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—527/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भुद्दीलाल पुत्र लाला नि० दानेपुर हथिनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—314/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भन्नू लाल पुत्र स्व० सोलई नि० महुवाडीह अशरफपुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे 05 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद कर मु०अ०सं०—597/23, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 07.11.2023

जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र एक माह में 28 अपहृताओं व 90 गुमशुदा बालक/बालिकाओं को बरामद कर कई परिवारों की लौटाई खुशियां –

गोण्डा। जनपद के कई थानों में महिलाओं/बालिकाओं की गुमशुदगी व अपहृत महिलाओं/बालिकाओं के कई अभियोग पंजीकृत हुए थे। पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में अभियान चलाकर गुमशुदा/अपहृत महिलाओं/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी करने हेतु टीमें गठित कर उनकी जल्द से जल्द बरामदगी करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे तथा जनपदीय सर्विलांस सेल को बरामदगी हेतु गठित टीमों को इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का संभावित समय में डेटा उपलब्ध कराने हेतु भी बताया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में महिलाओं/बालिकाओं की गुमशुदगी व अपहृत महिलाओं/बालिकाओं की बरामदगी हेतु कई थानाओं में टीमें गठित की गयी थी। थाना को० देहात की गठित प्रथम टीम जिसका नेतृत्व अपराध निरीक्षक शिवानन्द प्रसाद द्वारा किया गया। जिनके द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान राज्य के बालाजी मेंहदीपुर में दबिश दी गयी दबिश के उपरान्त काशीपुर मौजा खरगूपुर की रहने वाली एक अपहृता को बरामद किया गया तथा थाना को० देहात की गठित द्वितीय टीम जिसका नेतृत्व उ०नि० राम आशीष मौर्या द्वारा किया गया जिनके द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पंजाब राज्य के लुधियाना शहर के कई स्थानों पर दबिश दी गयी दबिश के उपरान्त ग्राम कुम्हारन पुरवा कोइली थाना को० देहात की रहने वाली अपहृता को बरामद किया गया। इसी प्रकार थाना खोड़ारे की गठित टीम जिसका नेतृत्व उ०नि० अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। जिनके द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर मुम्बई के कई स्थानों में दबिश दी गयी दबिश के उपरान्त कूक नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे की रहने वाली एक अपहृता को बरामद किया गया था तथा थाना उमरीबेगमगंज की गठित टीम जिसका नेतृत्व उ०नि० अश्वनी कुमार द्वारा किया गया। जिनके द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के कई स्थानों पर दबिश दी गयी थी दबिश के उपरान्त अपहृता मुम्बई चली गयी थी जहां पर भी गठित टीम द्वारा दबिश दी गयी दबिश के उपरान्त ग्राम बरौली की रहने वाली अपहृता को बरामद किया गया। इसी प्रकार जनपद की कई गठित टीमों द्वारा जनपद के कई स्थानों पर व आसपास के जनपदों से अपहृताओं/गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी की गयी। जनपदीय पुलिस द्वारा अक्टूबर माह 2023 में 28 अपहृताओं व 90 गुमशुदा बालक/बालिकाओं को बरामद किया गया। बाद बरामद समस्त कार्यवाही पूर्ण कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अपनों से मिलकर परिजनों द्वारा खुशी जाहिर की गयी तथा गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।